न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम मंगला किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 06/2018	
30.09.2024	राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 240/2015 उनवानी सरकार बनाम मंगला में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 के अनुसार अप्रार्थी मंगला पुत्र नारायण बलाई निवासी थूमडी की मृत्यु होने पर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को रिमाण्ड कर निर्दशित किया गया था कि अप्रार्थी मंगला पुत्र नारायण बलाई के कायम मुकाम की जांच कर संशोधित टाइटल के साथ रेफरेन्स अपेक्षित दस्तावेजात सहित न्यायालय में प्रस्तुत करें, किन्तु तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अप्रार्थी के कायम मुकाम की जांच किये बिना एवं संशोधित टाइटल एवं रेफरेन्स योग्य अपेक्षित दस्तावेजात के बिना ही रेफरेन्स प्रकरण पुनः मृत व्यक्ति के विरूद्ध ही इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। तहसीलदार नांगल राजावतान को मृतक मंगला पुत्र नारायण बलाई के कायम मुकामान की सूचना एवं तलबी हेतु सही पते की सूचना भिजवाने हेतु लिखे जाने के उपरान्त भी तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा ना तो मृतक मंगला पुत्र नारायण बलाई के कायम मुकामान की सूचना पेश की गई ना ही संशोधित टाइटल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस कारण से प्रकरण काफी समय से न्यायालय में लम्बित चल रहा है। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाकर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन कर मृतक अप्रार्थी मंगला पुत्र नारायण बलाई के वारिसान की जांच कर संशोधित टाइटल, तलबी हेतु पूर्ण पता एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2025.01.22 18:10:42 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official